भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 133
गुरुवार, 2 फरवरी, 2023/ 13 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

## हवाई यात्रा किराया वृद्धि

**133. एडवोकेट ए.एम.आरिफ**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोविड-19 से पूर्व की तुलना में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं के किरायों में हुई बहुत अधिक वृद्धि से सरकार अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने त्यौहार/अवकाश के मौसम में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा किराया, विशेषकर खाड़ी निगम परिषद के देशों के लिए किराये में हुई अत्यधिक वृद्धि का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रभारित किए जाने वाले किराये की अधिकतम सीमा को नियत करके घरेलू किराये को विनियमित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार का अंतरराष्ट्रीय और घरेलू किराये को विनियमित करने के उद्देश्य से एक व्यापक विधान लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) )**

(क) से (घ) सरकार को संसद के माननीय सदस्यों और केरल सरकार की ओर से हवाई यात्रा किरायों के संबंध में कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

हवाई किराया बाजार आधारित होता है और इसे सरकार द्वारा न तो विनियमित किया जाता है और न ही निर्धारित। एयरलाइनें, वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत, प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, युक्तियुक्त लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित किराया निर्धारित कर सकती हैं। तथापि, एयरलाइनें वायुयान नियम, 1937 के तहत विनियामक प्रावधानों की अनुपालना करते हुए तब तक मानी जाती हैं, जब तक उनके द्वारा लिया जाने वाला किराया, उनकी वेबसाइट पर निर्धारित और प्रदर्शित किराए से अधिक नहीं हो।

हवाई किराए, हॉलिडे सीज़न, त्योहार, सप्ताहांत आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण मांग और आपूर्ति में होने वाले अंतर सहित बाजार कारकों के आधार पर घटते-बढ़ते रहते हैं। एयरलाइन द्वारा हवाई किराए का निर्धारण, कई स्तरों पर चलता है {बकेट्स या रिज़र्वेशन बुकिंग डेज़िगनेटर (आरबीडी)} जो विश्व स्तर पर अपनाई जा रही परिपाटियों के अनुरूप है।

किरायों के परिवर्तनशील होने के कारण, यात्रा की तिथि के पास खरीदे गए टिकट की तुलना में अग्रिम रूप से खरीदे गए टिकट बहुत सस्ते होते हैं। इसके अलावा, हवाई किराए में हाल की वृद्धि के कई कारक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(i) यात्रा की दृष्टि से व्यस्ततम समय, यानी त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई यात्रा की माँग अधिक होती है।

(ii) अप्रत्याशित वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थिति के कारण विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत कई गुना बढ़ गई है। प्रचालन की लागत का प्रमुख घटक, ईंधन की कीमत है।

तथापि, सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान एक असाधारण उपाय के रूप में तथा वायुयान अधिनियम, 1934 के तहत प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित घरेलू क्षेत्र की इकॉनमी टिकटों के लिए किराया बैंड अधिसूचित किया था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक तरफ तो एयरलाइनें अत्यधिक किराया न वसूलें और साथ ही यात्रा केवल आवश्यक उद्देश्य के लिए ही की जाए। दिनांक 31.08.2022 से किराए की अधिकतम सीमा हटा दी गई है। इसके अलावा, अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के लिए किरायों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

वर्तमान में टैरिफ संबंधी मौजूदा विनियामक ढांचे को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

***